न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 56/2020 दायरा दिनांक : 18.09.2020

उनवान

1— दुर्गाशंकर आत्मज देवा जी, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 12 दुर्गा नमकीन के पास कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2— जानी बाई पुत्री देवा पत्नी बिरधीलाल उर्फ प्रभूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम चौमा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

3— नन्द कुंवर पुत्री देवा जी पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

3/1— छीतरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3/2— राधेश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3/3— छोटूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— रामनाथ आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2– रामनारायण आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– उस्मान अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– मन्सूर अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– नई मोहम्मद आत्मज कमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– पप्पू आत्मज रामनारायण, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 57 / 2020 **दायरा दिनांक : 18.09.2020**

उनवान

1– दुर्गाशंकर आत्मज देवा जी, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 12 दुर्गा नमकीन के पास कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– जानी बाई पुत्री देवा पत्नी बिरधीलाल उर्फ प्रभूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम चौमा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

3– नन्द कुंवर पुत्री देवा जी पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

3 / 1– छीतरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

3/2– राधेश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3/3– छोटूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– रामनाथ आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– रामनारायण आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– उस्मान अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– मन्सूर अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– नई मोहम्मद आत्मज कमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– पप्पू आत्मज रामनारायण, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 74/2020 दायरा दिनांक : 15.12.2020

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

उनवान

1– दुर्गाशंकर आत्मज देवा जी, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 12 दुर्गा नमकीन के पास कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– जानी बाई पुत्री देवा पत्नी बिरधीलाल उर्फ प्रभूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम चौमा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

3– नन्द कुंवर पुत्री देवा जी पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

3/1– छीतरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3/2– राधेश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3/3– छोटूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– रामनाथ आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– रामनारायण आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– उस्मान अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– मन्सूर अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– नई मोहम्मद आत्मज कमालुददीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– पप्पू आत्मज रामनारायण, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री डी एल नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.07.2021

ये तीनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 886/दावा/2017 (पूर्व मि0 नं. 586/2013) निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.02.2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.06.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । वादग्रस्त आराजी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर माधो के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी । माधो के स्वर्गवास के बाद उक्त

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी देवा आत्मज माधो हिस्सा 1/2 व भंवरलाल आत्मज माधो हिस्सा 1/2 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। देवा आत्मज माधो के स्वर्गवास के बाद उनके वारिस कान्हीं बाई पत्नी दुर्गाशंकर पुत्र व जानी बाई, नन्दकुंवर पुत्री के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार देवा के एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलांट कम 2 लगायत 4 हैं, जो वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के मालिक है तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउंटर क्लेम का खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया । रेस्पोडेंट नम्बर 1 का वाद में कथन रहा है कि ग्राम देईखेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 79, 84, 320, 321, 597/322, 74 कुल 6 किता की 26 बीघा के बाद सैटलमेंट के नवीन खसरा नम्बर 186, 194, 616, 617, 618, 170 कुल 6 किता की 23 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये जो वाद पेश करने से अपीलांट कम 1 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट कम 2 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा दर्ज हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रकरण में तनकी कायम की और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट कम 2 लगायत 4 के पिता द्वारा खसरा नम्बर 170 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा औंकार आत्मज गणेशराम, जाति मोग्या को बेचान कर दी और बाद में औकार से वादी ने खरीद ली, इस आधार पर उक्त आराजी पर वादी रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं डिकी में कुल 6 किता रकबा 23 बीघा में अपीलांट कम 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है किन्तु अपीलांट कम 1 को 1/2 हिस्सा पृथक से दिये जाने का आदेश प्रदान नहीं किया । अपीलांट कम 2 लगायत 4 के पिता देवा द्वारा वादग्रस्त आराजी को किसी को नहीं बेचा और ना ही किसी को अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा प्रदान किया किन्तु फिर भी वादग्रस्त आराजी का बेचान मानकर अपीलांट का नाम खारिज करने का

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी पर कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार होने की घोषणा चाही गयी है जबकि राजस्व अदालत को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार दिये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार घोषित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8 अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं और न उनके द्वारा कोई जवाबदेही ही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई प्रभावी सहायता उनके विरूद्ध चाही गई है इस कारण इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही निर्णय व डिकी पारित की है, जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी वाली आराजी रेस्पोडेंट को बंटवारे में दिये जाने का आदेश एवं डिकी प्रदान कर दी, जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 04.02.2020 एवं अंतिम डिकी दिनांक 17.06.2020 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 56/2020 एवं अपील संख्या 57/2020 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.08.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 74/2020 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.12.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

तीनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायलय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3, 4 (अपीलांट संख्या 1, 2, 3) का नाम रेवेन्यु रेकार्ड से खारिज कराने, आराजी का विभाजन चाहने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बिना विभाजन कराये रहन, बेचान नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा चाहने का यह वाद पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के सम्बन्ध में एक्जीविट पी 1 नकल जमाबंदी ग्राम दहीखेड़ा सम्वत 2059–2062 खाता संख्या 20, एक्जीविट पी 2 नकल आर्डरशीट दिनांक 10.07.2003 मु0 नं0 139/02 कान्ती बाई बनाम रामनाथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर एक्जीविट पी 3 नकल बैनामा दिनांक 12.06.1968, एक्जीविट पी 4 नकल इंतकाल नम्बर 24 दिनांक 23.05.1977 ग्राम दहीखेड़ा, एक्जीविट पी 5 नकल सैटलमेंट जमाबंदी ग्राम दहीखेड़ा सम्वत 2028–2047 खाता संख्या 104, बयान वादी श्री रामनाथ, बयान गवाह मथुरालाल बागरी का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी सैटलमेंट से पूर्व 6 किता की 26 बीघा 14 बिस्वा थी । सैटलमेंट के बाद 6 किता की 23 बीघा हो गई । इस आराजी में देवा वल्द माधो का 1/2 हिस्सा व रामनारायण, रामनाथ पिता भंवरया का 1/2 हिस्सा था । खातेदार देवा ने अपने हिस्से की साबिक खसरा नम्बर 84 हाल खसरा नम्बर 170 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् अपने 1/2 हिस्से का बेचान दिनांक 12.06.1968 को औंकार वल्द गनेशराम, जाति मोग्या, साकिन दहीखेड़ा को कर दिया । इस बेचान के बाद खाते से देवा का नाम खारिज होना चाहिए था, किन्तु शेष बची आराजी में पुनः

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

खातेदार देवा का 1/2 में नाम दर्ज कर दिया । खातेदार देवा की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा उसके वारिसान कन्हीं बाई बेवा देवा, दुर्गाशंकर पुत्र देवा दर्ज हुआ है । यहां जब खातेदार देवा अपने हिस्से का बेचान कर अपना हक समाप्त कर चुका है तो शेष बची आराजी में वापस उसका व उसके वारिसान का नाम रेकार्ड में होना कतई कानून सम्मत नहीं है । वहीं प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 ने अपने काउंटर क्लेम के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है और जान–बूझकर न्यायालय से अनुपस्थित रहे हैं । ऐसे में इनका काउंटर क्लेम साबित नहीं कराने से अस्वीकार योग्य है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने अपने वाद को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है । ऐसे में वादी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों अपीले अपील संख्या 56/2020 57/2020 एवं 74/2020 अपीलांट खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.02.2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.06.2020 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या **56/2020**

दुर्गाशंकर आत्मज देवा जी, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 12 दुर्गा नमकीन के पास कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

जानी बाई पुत्री देवा पत्नी बिरधीलाल उर्फ प्रभूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम चौमा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

नन्द कुंवर पुत्री देवा जी पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

/1– छीतरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

/2– राधेश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

/3– छोटूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... **अपीलांट**

1– रामनाथ आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– रामनारायण आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– उस्मान अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4– मन्सूर अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5– नई मोहम्मद आत्मज कमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6– पप्पू आत्मज रामनारायण, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या **57/2020**

दुर्गाशंकर आत्मज देवा जी, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 12 दुर्गा नमकीन के पास कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

जानी बाई पुत्री देवा पत्नी बिरधीलाल उर्फ प्रभूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम चौमा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

नन्द कुंवर पुत्री देवा जी पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

/1– छीतरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

/2– राधेश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

/3– छोटूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... **अपीलांट**

बनाम

1– रामनाथ आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– रामनारायण आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– उस्मान अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– मन्सूर अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– नई मोहम्मद आत्मज कमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– पप्पू आत्मज रामनारायण, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या **74/2020**

दुर्गाशंकर आत्मज देवा जी, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 12 दुर्गा नमकीन के पास कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

जानी बाई पुत्री देवा पत्नी बिरधीलाल उर्फ प्रभूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम चौमा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

नन्द कुंवर पुत्री देवा जी पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

/1– छीतरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

/2– राधेश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

/3– छोटूलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति माली, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... **अपीलांट**

1– रामनाथ आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– रामनारायण आत्मज भंवर लाल, जाति माली, निवासी दईखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, नदी के पास, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– उस्मान अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– मन्सूर अली आत्मज श्री बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– नई मोहम्मद आत्मज कमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6– पप्पू आत्मज रामनारायण, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दईखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 56/2020, 57/2020 व 74/2020 एवं मु.द.नं. 886/दावा/2017 (पूर्व मि0 नं0 586/2013)

नाराजगी डिकी अदालत –उपखण्ड अधिकारी, खानपुर प्राथमिक डिकी दिनांक 04.02.2020 एवं फाईनल डिकी दिनांक 17.06.2020

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 07 सन् 2021

हाजरी **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री डी एल नागर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

तीनों अपीले अपील संख्या 56/2020, 57/2020 व 74/2020 अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 04.02.2020 एवं फाईनल डिकी दिनांक 17.06.2020 यथावत रखे जाते है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 07 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)